राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 2(5)कार्मिक/क–2/2004 जयपुर, दिनांकः 24-2-2020

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के संबंध में।

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र आदेश प 15(24)कार्मिक/क–2/75 दिनांक 9.10.2000 एवं समसंख्यम परिपत्र आदेश दिनांक 14.12.2000 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश प्रदान किय गये थे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में बैकलॉग रिक्तियों को एक अलग तथा विशिष्ट समूह के रूप माना जायेगा तथा इन्हें जिस वर्ष में भरा जा रहा है, उस वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करनें में नहीं गिना जायेगा।

इसी क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को भरने तथा बैकलॉग रिक्तियों की सही प्रकार से गणना करनें के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 1.7.2015 जारी किया गया हैं, जिसके क्रम में समय–समय पर निर्देश भी प्रदान किये गये है। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि बार–बार निर्देशों के बावजूद कतिपय विभागों और नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अ.जा/अ.ज.जा की बैकलॉग रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण विभागों में बैकलॉग रिक्तियों की संख्या में बढोंतरी की शिकायते प्राप्त हो रही है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एव अन्य के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का सुस्पष्ट रिकॉर्ड संधारित करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग की रिक्तियों की नियमानुसार गणना कर इन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरनें हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, रांज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव

18/2020

circular - 53